न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अरविन्द कुमार जाखड़ आर ए एस

राजस्व अपील/225/रा.का.अधि./05/2021/बाड़मेर

अपीलांट

1. भागीरथ पुत्र श्री रामूराम जाति विश्नोई निवासी गडरा खिचड़ान तहसील धौरीमन्ना जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंटगण

1.जेठाराम पुत्र श्री फुसाराम जाति विश्नोई निवासी गडरा खिचड़ान तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर
2.प्रबंधक एस.बी.आई बैक शाखा धौरीमन्ना
3.तहसीलदार धोरीमन्ना

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर धोरीमन्ना द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 67/2020 बअनवान जेठाराम बनाम भागीरथ वगै. में पारित आदेश दिनांक 05.01.2021 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री भाखराराम गोदाराम अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री राजेश विश्नोई रेस्पोडेण्ट संख्या 01 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः– 07.04.2021

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/रेस्पोडेंट की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 140/1 ग्राम गडरा खिचड़ान में अवस्थित है। जिससे लगता हुआ विप्रार्थीगण का खातेदारी खेत खसरा संख्या 136 प्रार्थी के खेत एवं सड़क के मध्य पड़ता है। रेस्पोडेंट/प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक आवेदन अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया गया। अपीलांटगण को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई है वह मौका पर जाकर नहीं बनाई गई है एवं तहसीलदार धौरीमन्ना ने अपीलांटगण को बिना सूचित किये एवं बिना मौके पर जाये कार्यालय में बैठे–बैठे उतरदातागण के प्रभाव में आकर बनाई जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई जो प्राप्त होने पर उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को जवाब पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। खसरा संख्या 140 रकबा 10 बिस्वा का सामलाती खातेदार था जो खसरा संख्या आपसी बंटवाड़े में रास्ते के रूप में सामलाती खातेदारी मे रखा गया था जिसको रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग हो रहा है जिसके पाडोरा में खसरा संख्या 137 सड़क के लगता आया हुआ है। जिसमें लघू दूरी पर आवेदक के लिये वैकल्पिक रास्ता है फिर भी प्रार्थी/रेस्पोडेंट ने बदनियति से अपने उपरोक्त प्रार्थना–पत्र में उक्त खसरा संख्या 140 का कोई वर्णन जानबुझकर नही करके गलत रूप से अपीलार्थी के खसरा में से रास्ते की मांग की गयी। उक्त आवेदन लंबित रहते खसरा संख्या 140 रकबा 10 बिस्वा में से रेस्पोडेंट/प्रार्थी ने अपने हिस्से के रकबे को अपने लड़के जगदीश व अपने दूसरे लड़के मोहनलाल की पत्नी रामी के नाम से दिनांक 08.09.2020 को दानपत्र निष्पादित करते हुए राजस्व रेकर्ड में हेराफेरी अपीलांट को नुकसान पहुंचाया गया। रेस्पोडेंट/प्रार्थी को अपने खातेदारी खेत तक जाने हेतु उसके सामलाती खातेदारी खसरा संख्या 140 से होकर पाडोसी खातेदार के खेत खसरा संख्या 137 में से वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। रेस्पोडेंट/प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ते का विकल्प मौजूद होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस गौर किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांटगण को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। तहसीलदार धौरीमन्ना द्वारा पेश मौका रिपोर्ट एकपक्षीय बनाई गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की बहस सुनकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन ओदश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 140/1 ग्राम गडरा खिचड़ान में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की वहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तलव मौका फर्द दिनांक 05.10.2020 जो तहसीलदार धौरीमन्ना स्वयं ने मौके पर जाकर तैयार की गई। मौका रिपॉर्ट में स्पष्ट आया है विकल्प संख्या 02 में दर्शाया कि खसरा संख्या 137 में 0.04 वीघा भूमि, तथा खसरा संख्या 140 में 0.07 वीघा भूमि का रास्ते के रूप में उपयोग किया जाये तो प्रार्थी/रेस्पोडेंट की जोत सरकारी रास्ते से जुड़ जाती है। रेस्पोडेंट/प्रार्थी एवं अन्य खातेदारों की संयुक्त खातेदारी का खेत मूल खसरा संख्या 140 जो आपसी सहमति से वंटवाड़ा कर रेस्पोडेंट/प्रार्थी की खातेदारी में खसरा संख्या 140/1 रखा गया तथा खसरा संख्या 140 में रकवा 0.10 वीघा सभी खातेदारों के खाते में रास्ते के रूप में उपयोग करने के लिए रखी गई प्रतीत होती है। हस्तगत आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 21.08.2020 को पेश किया गया तथा आवेदक/प्रार्थी द्वारा खसरा संख्या 140 में से अपना हिस्सा दान कर दिया गया जिसकी पालना में नामांतकरण संख्या 135 दिनांक 02. 10.2020 खोला गया। इससे यह जाहिर होता है कि रेस्पोडेंट/प्रार्थी न्यायालय के समक्ष सदभावना एवं स्वच्छ हाथों से पेश नहीं हुआ।

रेस्पोडेंट/प्रार्थी की खातेदारी भूमि तथा सरकारी कटाण रास्ते तक पहुंचने के लिए खसरा संख्या 137 का रकवा 0.04 वीघा भूमि की दूरी निकटतम विकल्प है। रेस्पोडेंट/प्रार्थी को अपनी सुविधाओं के लिए किसी अन्य जोत में से रास्ता दिया जाना न्यायोचित नहीं है। मौका फर्द दिनांक 05.10.2020 में स्पष्ट आया कि मौके पर प्रस्तावित भूमि खाली है जिसमें किसी प्रकार का अवरोध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका फर्द दिनांक 05.10.2020 पर गौर किये विना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जो विधि की मंशा के विपरित है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार कर रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर धोरीमन्ना द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 67/2020 बअनवान जेठाराम बनाम भागीरथ वगै. में पारित आदेश दिनांक 05.01.2021 को

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपास्त कर मामला अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर आदेश दिये जाते है कि खसरा संख्या 137 के खातेदारों को हस्तगत आवेदन में पक्षकार के रूप में संयोजित कर उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए पुनः विधि सम्मत आदेश पारित करे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 19.05.2021 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 07.04.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर